

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश (कक्ष भू-प्रबंध)**

वन भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/397425/0024/16

दिनांक: ई-साइन अनुसार

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय भवन,  
लिंक रोड नं. 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

**विषय:-** जिला रतलाम अंतर्गत कुआंझागर तालाब योजना के निर्माण हेतु 20.512 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन  
संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बावत। (FP/MP/ IRRIG/150918/2022)

**संदर्भ:-** भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र दिनांक 26/07/2025.

--00--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, के उक्त संदर्भित पत्र से जारी की गयी सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन  
संबंधितों से प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :-

क्र.	Conditions	Compliance
<b>A- Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.</b>		
1	The cost of compensatory afforestation on the CA land 20.512 non-forest land at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	आवेदक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राशि रुपये 1,19,65,000/- ई-पोर्टल के माध्यम से एड-हॉक कैम्पा मद में जमा की गयी है।
2	Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted	आवेदक विभाग द्वारा कलेक्टर रतलाम से प्राप्त गैर वनभूमि को वनविभाग के नाम हस्तांतरित की गयी है एवं फार्म पी-II की प्रति संलग्न है।
3	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. Copy of PF/RF notification may be sent in Stage-I compliance report	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में घोषित करने संबंधी अधिसूचना की कार्यवाही प्रचलित है।
4	The User Agency shall ensure that area proposed for CA should be free from all encumbrances/ encroachment prior to mutation/ handing over to the State Forest Department.	आवेदक विभाग सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।
5	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 20.512 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003,	आवेदक संस्थान द्वारा एन.पी.व्ही. की राशि रुपये 1,96,45,983/- ई-पोर्टल के माध्यम से एड-हॉक कैम्पा मद में जमा की गयी है।

	28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007- FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	
6	The copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted in accordance to para no. 4.8(i) of F(C)Act, 1980 and deposit the requisite amount at the cost of the user agency in CAMPA.	आवेदक संस्थान द्वारा CAT की राशि रुपये 5,83,500/- ई-पोर्टल के माध्यम से एड-हॉक कैम्पा मद में जमा की गयी है।
7	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में सभी राशियों (CA/NPV/CATPlan) का भुगतान कुल राशि रुपये 3,21,94,483/- आनलाईन एड-हॉक कैम्पा मद में किया गया है।
8	The Project Proponent shall not use the forest area for the construction of approach access and as per the certificate provided in the proposal access within the FTL (Full Tank Level) will be used for transportation of the material in the area.	आवेदक विभाग सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।
9	The State Govt. shall ensure that only indigenous plants will be planted in and around the catchment of the proposed reservoir while implementing the CAT plan activities in the area and the list of species to be planted shall be provided to the Regional Office.	यह शर्त वनमण्डलाधिकारी, रतलाम द्वारा स्वीकार की गयी है।
10	The State Govt. shall ensure that distribution or pumping of water will be carried out at the tail end of the proposed tank and the forest area shall not use for construction of any structures like pumping station, pipeline, electric line etc. other than the component (Reservoir) proposed in the proposal.	आवेदक विभाग सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।
11	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रकरण में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत कलेक्टर, जिला रतलाम द्वारा एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु प्रति <input type="checkbox"/> संलग्न है।
12	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	जानकारी e-Green watch पोर्टल पर अपलोड की गयी है, जिसकी आई.डी. क्रमांक 56423 है।
13	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	आवेदक विभाग सहमत है।
14	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	आवेदक विभाग द्वारा पालन प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया है
<b>B- Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be</b>		

submitted prior to Stage-II approval:																							
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.				आवेदक विभाग सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।																		
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 20.512 ha non-forest land at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species shall be avoided. Details of CAs are as follows : <table><tr><th>No</th><th>Distri ct</th><th>Tehsil</th><th>Villag e</th><th>Khas ra No.</th><th>Area (ha.)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ratla m</td><td>Sailan a</td><td>Kanse r</td><td>118/ 2 &amp; 118/ 3</td><td>20.512</td></tr><tr><td colspan="5">Total</td><td>20.512 Ha</td></tr></table>				No	Distri ct	Tehsil	Villag e	Khas ra No.	Area (ha.)	1.	Ratla m	Sailan a	Kanse r	118/ 2 & 118/ 3	20.512	Total					20.512 Ha	यह शर्त वनमण्डलाधिकारी, रतलाम द्वारा स्वीकार की गयी है।
No	Distri ct	Tehsil	Villag e	Khas ra No.	Area (ha.)																		
1.	Ratla m	Sailan a	Kanse r	118/ 2 & 118/ 3	20.512																		
Total					20.512 Ha																		
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.				आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र संलग्न है।																		
4	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.				आवेदक विभाग सहमत है।																		
5	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.				आवेदक विभाग सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।																		
6	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.				आवेदक विभाग सहमत है।																		
7	No labour camp shall be established on the forest land.				आवेदक विभाग सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।																		
8	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.				आवेदक विभाग सहमत है।																		
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.				आवेदक विभाग सहमत है।																		
10	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.				आवेदक विभाग सहमत है।																		
11	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.				आवेदक विभाग सहमत है।																		
12	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.				आवेदक विभाग सहमत है, वचन पत्र संलग्न है।																		

13	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	आवेदक विभाग सहमत है।
----	---	----------------------

अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by

Hari Shankar Mohanta

Date: 21-11-2025

13:05:24

(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
  2. वनमण्डलाधिकारी, (सा०) वनमण्डल रतलाम, मध्यप्रदेश।
  3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम

## सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)

टैलीफैक्स नं. (07412) 270418  
क्रमांक / मा.चि. / 2025 /  
प्रति,

3108

E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in  
रतलाम, दिनांक 09-10-2025

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू प्रबन्ध) म.प्र. भोपाल  
वन भवन तुलसी नगर भोपाल
- विषय :- जिला रतलाम के अंतर्गत कुंआझागर तालाब योजना के निर्माण हेतु 20.512 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/150918/2022)
- संदर्भ :-01) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र./6-एम.पी.आर. 002/2024/वी.एच.ओ. दिनांक 26-07-2025
- 02) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./एफ-3/397425/0024/16/दिनांक 31-07-2025
- 03) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सम्भाग रतलाम का पत्र क्र/कार्य/कुआझागर/2025/2064 दि. 08-10-2025

—0—

विषयांतर्गत संदर्भ में निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा कुंआझागर तालाब परियोजना के निर्माण में 20.512 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग रतलाम को उपयोग पर दिये जाने हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों के पालन में आवेदक विभाग द्वारा बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है

Condition which need to be complied prior to handling over of forest land by the state Forest department.

S. no	Question	Answer
1	The cost of compensatory afforestation on the CA Land 20.512 non forest land at the prevailling wage rates as per compensatory afforestation scheme(including the cost of survey. Demarcation and erection of permanant. Pillars etc. as required for securing the land against enchroachment) shall be deposited in advance with the state forest department by the project authority . The CA will be maintained for 10 years. The schememay include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedued for subsequend years.	इस शर्त का पालन मे जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार है, वचन पत्र सलग्न है। (Annexure A)
2	Non forest land shall be transferred and mutated in favour of state forest department and document shall be submitted.	वन मण्डल रतलाम द्वारा कलेक्टर रतलाम से प्राप्त गैर वन भूमि का हस्तांतरण आदेश अनुसार 20512 है. भूमि प्राप्त कर वन विभाग के नाम से नामांतरण किया गया ।
3	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the state forest department for the purpose of compensatory of the state forest department for the prupose of compensatory offerstation shall be declared as a Reserved Forest under section-4 or protected forest under section 29 of the indian forest Act. 1927 or under the relevent section(S) of the state forest Act. Copy PF/RF notification may be sent in stage-1 compliance report.	शर्त के अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29मे सरक्षित वन बनाने जाने की अधिसूचना तैयार कर कार्यालीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2025/3018 दिनांक 30-09-2025 से मुख्य वन सरक्षक वृत्त उज्जैन के माध्यम से प्रेषित की गई है

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



	The user Agency shall ensure that area proposed for CA should be free from all encumbrance/encroachment prior to mutation/handling over to the state Forest department	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार है, वचन पत्र सलग्न है (Annexure B)
5	The state Govt. shall charge the net Present value (NPV) for the 20.512 ha Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the order of the hon'ble supreme court of india dated 30/10/2002 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA no. 566 in WP (C) no. 202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide letters no. 5-1/1998-FC (pt.11) dated 18/09/2003 as well as letter no 5-2/2006 FC dated 03/10/2006, 5-3/2007 Fc dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-1) dated 06/01/2022 in this regard.	इस शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा मांग पत्र अनुसार ई-चालान के माध्यम से NPV राशि 1,96,45,983.00 रुपये कैम्पा मद में जमा कराये गये चालान सलग्न है।
6	The copy of approved catchment area treatment (CAT) plan shall be submitted in accordance to para no. 4.8(i) of F(C) Act, 1980 and deposit the requisite amount at the cost of the user agency in CAMPA.	इस शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा मांग पत्र अनुसार ई-चालान के माध्यम से CAT राशि 5,83,500.00 रुपये कैम्पा मद में जमा कराये गये चालान सलग्न है।
7	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred to CAMPA and only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ).	इस शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा मांग पत्र अनुसार समस्त राशि (एन.पी.वी./क्षतिपूर्ति वनीकरण/सी.ए.टी.पी) ई-चालान के माध्यम से कुल 3,21,94,483.00 राशि transferred to CAMPA and only through eportal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ). जमा की गई है (Annexure C)
8	The Project Proponent shall not use the forest area for the construction of approach/access and as per the certificate provided in the proposal access within the FTL (Full Tank Level) will be used for transportation of the material in the area.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार है, वचन पत्र सलग्न है। (Annexure D)
9	The State Govt. shall ensure that only indigenous plants will be planted in and around the catchment of the proposed reservoir while implementing the CATplan activities in the area and the list of species to be planted shall be provided to the Regional Office.	इस शर्त के पालन में वन मण्डल रतलाम को स्वीकार होकर CATplan में रोपण किया जाने वाली प्रजाति का उल्लेख किया जायेगा
10	The State Govt. shall ensure that distribution or pumping of water will be carried out at the tail end of the proposed tank and the forest area shall not be used for construction of any structures like pumping station, pipeline, electric line etc. other than the component (Reservoir) proposed in the proposal.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार है, वचन पत्र सलग्न है।
11	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार है, वचन पत्र सलग्न है।
12	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	इस शर्त के पालन में वन मण्डल रतलाम को स्वीकार होकर e-Green watch portal ij KML file में अपलोड की जाएगी

	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 3.2.1 of Chapter 3 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest (Conservation) Act, 1982 by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार है, वचन पत्र सलग्न है।
14	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ).	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार है, वचन पत्र सलग्न है।

B. Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forestn land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

S no.	Question	answer
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार है, वचन पत्र सलग्न है। (Annexure E)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 20.512 ha non-forest land at the cost of the user agency. As far as possible, mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non native species shall be avoided. Details of the area are as follows:	इस शर्त के पालन में वन मण्डल रतलाम द्वारा आवेदक विभाग द्वारा जमा की गई राशि से ग्राम कन्सेर खसरा क्र. 118/2, 118/3 क्षेत्रफल 20.215 है, में प्रतिपुरक वनीकरण कार्य किया जावेगा जिसमें स्थानीय प्रजाती के पौधों का रोपण कार्य किया जावेगा।
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India in receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार है, वचन पत्र सलग्न है। (Annexure F)
4	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार/सहमत है।
5	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार है, वचन पत्र सलग्न है। (Annexure G)
6	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार/सहमत है।
7	No labour camp shall be established in the forest land.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार है, वचन पत्र सलग्न है। (Annexure H)
8	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार/सहमत है।
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार/सहमत है।
10	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार/सहमत है।
11	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार/सहमत है।
12	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Central Government.	इस शर्त का पालन में जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार है, वचन पत्र सलग्न है। (Annexure I)



Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

इस शर्त का पालन मे जलसंसाधन विभाग रतलाम को स्वीकार/सहमत है।

अतः उपरोक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन 02 प्रतियों में इस कार्यालय में भेजे।  
संलग्न :- संदर्भित पत्र क्र. 03 पालन प्रतिवेदन।

वनमण्डलाधिकारी  
रतलाम

क्रमांक/मा.चि./2025/.....

रतलाम, दिनांक : .....-10-2025

प्रतिलिपि :-

- 01 वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।  
संलग्न :- संदर्भित पत्र क्र. 03 पालन प्रतिवेदन।
- 02 कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी  
रतलाम



## कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

पत्र क्रमांक / 2064 / कार्य/ कुआँझागर / 2025

रतलाम, दिनांक :- 08/07/25

प्रति,

✓ वनमण्डलाधिकारी,  
सामान्य वन मण्डल,  
रतलाम

विषय- रतलाम जिले के अंतर्गत कुआँझागर जलाशय योजना के निर्माण हेतु 20.512 हेक्टर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत ।  
(FP/MP/IRRIG/150918/2022)

संदर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 6-एमपीआर/002/ 2024-बीएचओ / भोपाल दिनांक- 26.07.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस विभाग की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कुआँझागर सिंचाई तालाब योजना तहसील एवं रतलाम से प्रभावित वन भूमि रकबा 20.512 हेक्टर की भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से सैधातिक स्वीकृति (स्टेज-1) प्राप्त हो चुकी है।

विभाग द्वारा सैधातिक स्वीकृति (स्टेज-1) में उल्लेखित शर्तों का बिन्दुवार पालन किया जावेगा, जिसका पालन प्रतिवदेन निम्नानुसार है:-

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

S.No.	Terms & Condition	Reply
1	The cost of compensatory afforestation on the CA land 20.512 non-forest land at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के पालन में विभाग वचन बद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। (Annexure A)

2	Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.	इस शर्त के पालन में न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा RCMS प्रकरण क्रमांक 0104 / अ-20 (3 )/2021 - 22 , आदेश पारित पृष्ठांकन क्रमांक 3899 /रीडर -1 /2022 / रतलाम दिनांक 26 / 09 / 22 के तहत कंसेर की भूमि सर्वे नंबर 118 /2 एवं 118 /3 में से 20.512 हेक्टेयर वन विभाग को हस्तांतरित की गई।
3	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. Copy of PF/RF notification may be sent in Stage-I compliance report.	उक्त बिंदु वन विभाग से सम्बंधित है ।
4	The User Agency shall ensure that area proposed for CA should be free from all encumbrances/ encroachment prior to mutation/ handing over to the State Forest Department.	इस शर्त के पालन में विभाग वचन बद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। (Annexure B)
5	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 20.512 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	इस शर्त के पालन में वन विभाग के मांग पत्र के अनुसार कुल राशी रुपए का भुगतान ई पद्धति के माध्यम से ई चालान तैयार कर ई चेक में राशि 32194483 वन विभाग के कैम्पा मद में जमा की जा चुकी है चालान एवं ऑनलाइन रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है।
6	The copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted in accordance to para no. 4.8(i) of F(C)Act, 1980 and deposit the requisite amount at the cost of the user agency in CAMPA.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत है ।
7	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	इस शर्त के पालन में विभाग वचन बद्ध है। वचन पत्र संलग्न है । (Annexure C)

8	The Project Proponent shall not use the forest area for the construction of approach access and as per the certificate provided in the proposal access within the FTL (Full Tank Level) will be used for transportation of the material in the area.	इस शर्त के पालन में विभाग वचन बद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। (Annexure D)
9	The State Govt. shall ensure that only indigenous plants will be planted in and around the catchment of the proposed reservoir while implementing the CAT plan activities in the area and the list of species to be planted shall be provided to the Regional Office.	उक्त बिंदु वन विभाग से सम्बंधित है।
10	The State Govt. shall ensure that distribution or pumping of water will be carried out at the tail end of the proposed tank and the forest area shall not use for construction of any structures like pumping station, pipeline, electric line etc. other than the component (Reservoir) proposed in the proposal.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत है ।
11	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत है ।
12	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत है ।
13	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत है ।
14	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत है ।


B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के पालन में विभाग वचन बद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। (Annexure E)
---	---	---

2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 20.512 ha non-forest land at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species shall be avoided.	इस शर्त के पालन में न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा RCMS प्रकरण क्रमांक 0104 / अ-20 (3) / 2021 - 22 , आदेश पारित पृष्ठांकन क्रमांक 3899 /रीडर -1 /2022 / रतलाम दिनांक 26 / 09 / 22 के तहत कंसेर की भूमि सर्वे नंबर 118 /2 एवं 118 /3 में से 20.512 हेक्टेयर वन विभाग को हस्तांतरित की गई।
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त के पालन में विभाग वचन बद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। (Annexure F)
4	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत है ।
5	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के पालन में विभाग वचन बद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। (Annexure G)
6	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत है ।
7	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के पालन में विभाग वचन बद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। (Annexure H)
8	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	इस शर्त के पालन में सम्बन्धि ठेकेदार मजदूरों के द्वारा वन विभाग की जलाउ लकड़ी का उपयोग नहीं किया जावेगा ।
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत है ।
10	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत है ।
11	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत है ।
12	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior	इस शर्त के पालन में विभाग वचन बद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। (Annexure I)

	approval of Central Government.	
13	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के पालन हेतु विभाग सहमत है ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

  
(एन.पी.देव)


कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम

पृ. क्रमांक / 2065 / कार्य/कुआँझागर/2025


रतलाम दिनांक 08/10/25

प्रतिलिपि:-

अपन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
(एन.पी.देव)

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम

  
29/10/2025




कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

कुआँझागर सिंचाई तालाब योजना 20.512 हेक्टर से प्रभावित वन भूमि रकबा 20.512 हेक्टर के सैधांतिक स्वीकृति आदेश के भाग A की शर्त क्रमांक 01 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।

  
(एन.पी.देव)


कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

कुआँझागर सिंचाई तालाब योजना के सैधांतिक स्वीकृति आदेश के भाग A की शर्त क्रमांक 4 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।

  
(एन.पी.देव)

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम




कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

कुआँझागर सिंचाई तालाब योजना के सैधांतिक स्वीकृति आदेश के  
भाग A की शर्त क्रमांक 07 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।

  
(एन.पी.देव)

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

कुआँझागर सिंचाई तालाब योजना तहसील रतलाम जिला रतलाम में नेट प्रेजेन्ट वेल्सू राशि को भविष्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विशेषज्ञ कमेटी/ भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है तो अंतर की राशि जमा कराने हेतु विभाग वचनबद्ध है ।

(एन.पी.देव)


कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

कुआँझागर सिंचाई तालाब योजना के सैधांतिक स्वीकृति आदेश के भाग  
B की शर्त क्रमांक 01 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।

  
(एन.पी.देव)


कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

कुआँझागर सिंचाई तालाब योजना के सैधांतिक स्वीकृति आदेश के भाग B की शर्त क्रमांक 01 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।

  
(एन.पी.देव)


कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

कुआँझागर सिंचाई तालाब योजना के सैधांतिक स्वीकृति आदेश के भाग B की शर्त क्रमांक 03 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।

  
(एन.पी.देव)


कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

कुआँझागर सिंचाई तालाब योजना के सैधांतिक स्वीकृति आदेश के भाग B की शर्त क्रमांक 05 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।

  
(एन.पी.देव)

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम

Annexure - H

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email:ee wrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

कुआँझागर सिंचाई तालाब योजना के सैधांतिक स्वीकृति आदेश के भाग B की शर्त क्रमांक 07 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।

(एन.पी.देव)

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम




कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

कुआँझागर सिंचाई तालाब योजना के सैधांतिक स्वीकृति आदेश के भाग B की शर्त क्रमांक 12 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।

  
(एन.पी.देव)


कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम

Email: eewrdrtm@rediffmail.com

वचन पत्र

कुआँझागर सिंचाई तालाब योजना के सैधांतिक स्वीकृति आदेश के भाग B की शर्त क्रमांक 12 के परिपालन हेतु विभाग वचनबद्ध है ।

  
(एन.पी.देव)

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग रतलाम

न्यायालय कलेक्टर (शुभ अध्यक्ष) जिला नजूल भूमि निर्वर्तन  
समिति जिला रतलाम (म0प्र0)

RCMS प्रकरण क्रमांक 0104/अ-20(3)/2021-22

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग  
भोपाल द्वारा कार्यपालन यंत्री
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल .....आवेदक  
विरुद्ध
- मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित आदेश दिनांक 23/09/2022)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग रतलाम के द्वारा म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश - 2020 के तहत निर्धारित प्रारूप एक में आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम कुआँझागर तालाब योजना के डब में आ रही 20.512 हे० वन भूमि के बदले वन विभाग को हस्तांतरण की जाना प्रस्तावित की गई।

2- प्रकरण पंजीयद्ध कर म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 24.09.2020 में प्रकाशित), की कड़िका- 13(2), 13(3), 13(4) एवं 142 के तहत जांच प्रतिवेदन हेतु प्रारूप दो में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा में प्रकरण में तहसीलदार पिपलौदा से जांच करवाई जाकर प्रतिवेदन अनुशंसा के आदेशिका दिनांक 22.04.2021 को प्रेषित किया गया। आदेशिका अनुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। भूमि आवंटन के संबंध में सर्वसंबंधित विभाग से निर्धारित समयावधि में अभिनत प्राप्त नहीं नजूल निर्वर्तन निर्देश-2020 की कड़िका-48 (2इ) के अनुसार अभिनत/ परामर्श प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सचिव ग्राम पंचायत कंसेर के द्वारा दिनांक 28.04.2022 में कुआँझागर तालाब परियोजना के एवज में ग्राम कंसेर की भूमि 20.512 हे० भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने में अनापत्ति होने का लेख है, एवं हस्तांतरित की जाने वाली भूमि नगर या ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-13 (1) के तहत ग्राम विकास योजना 2021 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र सीमा के बाहर स्थित होने से भूमि का निर्धारण प्रस्तावित नहीं किया है। राजस्व निरीक्षक/पटवारी के द्वारा प्रारूप-5 में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार भूमि किसी अन्य प्रयोजन व आरक्षित/ सुरक्षित नहीं है। भूमि वाजिब-उल-अर्ज में या निस्तार पत्रक में दर्ज नहीं है। भूमि शमशान/ कब्रस्तान/ मरघट इत्यादि की नहीं है। भूमि पर रास्ता, सड़क, पगडंडी मार्ग नहीं है, भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में नहीं है। प्रस्तावित भूमि हस्तांतरण करने के पश्चात् भी बरागाह का रकबा 2 प्रतिशत प्रभावित नहीं होगा। कुआँझागर तालाब परियोजना एवज में ग्राम कंसेर की भूमि 24.51 में से 20.512 हे० भूमि वन विभाग हेतु भूमि हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी के पत्र क्रमांक 4391/माओचि०/2002 रतलाम दिनांक 03/12/2020 के द्वारा ग्राम कुआँझागर तालाब निर्माण में 20.512 हे० वन भूमि प्रभावित होने के एवज में ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा की शासकीय भूमि रकबा 24.51 हे० में से 20.512 हे० शासकीय भूमि हस्तांतरण किये जाने हेतु सहमति दी गई है।

निरंतर.....2

(2)

RCMS प्रकरण क्रमांक 0104 /अ-20(3)/2021-22

3- प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा से प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी नजूल रतलाम के द्वारा नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर, नयाखेडा तालाव, कालीयाखोह तालव एवं बाणदा तालाव परियोजना के तहत पूर्व में कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख रतलाम के आदेश क्रमांक 733/भूअ0/वन.सी./लैण्ड बैंक/08 दिनांक 01/05/2008 से नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर, नयाखेडा तालाव, कालीयाखोह तालव एवं बाणदा तालाव योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले उपयोग हेतु ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 118/1 में से रकबा 53.73 हे० उपलब्ध कराई गई थी। नीमच जिले की परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त होने से वन विभाग को दी गई भूमि शिथिल होने से आदेश दिनांक 01.05.2008 को निरस्त करते हुए न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक 49/अ-20(3)/2017-18 पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 से मादलिया घाट तालाव एवं रावटी वाला नाला (डावडी तालाव योजना) के डुब में आ रही वन भूमि कमशः 14.22, 15.00 हे० कुल किता 2 कुल रकबा 29.22 हे० के स्थान पर हेक्टर पर ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा की शासकीय भूमि क्रमांक 118/4 रकबा 27.66 हे० एवं सर्वे क्रमांक 118/3 रकबा 16.40 हे० में से रकबा 1.57 हे० कुल किता 2 कुल रकबा 22.00 हे० भूमि वन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार-2 की कंडिका 05 के तहत हस्तांतरित की जाने से शेष भूमि 24.51 हे० में से कुँआझागर तालाव परियोजना एवज में 20.512 हे० भूमि को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल को हस्तांतरित किये जाने के उपरांत शेष शासकीय भूमि रकबा 3.998 हे० भूमि पुनः शासकीय अंकित किये जाने की अनुशंसा सहित नजूल भूमि निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तावित की गई।

4- मप्र नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 की कंडिका-8(3) के अंतर्गत गठित जिला नजूल निर्वर्तन समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा कुँआझागर तालाव परियोजना के अन्तर्गत वन विभाग की भूमि डुब में आने से उसके एवज में ग्राम कंसेर की भूमि 24.51 हे० में से कुँआझागर तालाव परियोजना के एवज में 20.512 हे० भूमि को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल को हस्तांतरित किये जाने के उपरांत शेष भूमि का 3.998 हे० भूमि को पुनः शासकीय अंकित किये जाने की स्वीकृति कंडिका-14 के अनुसार समिति द्वारा कार्रवाई विवरण दिनांक 02/06/2022 की मूल प्रति प्रकरण के संलग्न हैं।

अतः जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं प्रभारी अधिकारी नजूल के अनिमित्त के आधार पर एवं कलेक्टर भू-अभिलेख रतलाम के आदेश क्रमांक 733/भूअ0/वन.सी./लैण्ड बैंक/08 दिनांक 01/05/2008 आदेशानुसार नीमच जिले की बख्तुन सालिड वियर, नयाखेडा तालाव, कालीयाखोह तालव एवं बाणदा तालाव योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले उपयोग हेतु ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा की शासकीय भूमि सर्वे नं. 118/1 में से रकबा 53.73 हे० भूमि उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई। नीमच जिले की परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त होने से वन विभाग को दी गई भूमि शिथिल होने से आदेश दिनांक 01.05.2008 को निरस्त करते हुए न्यायालय कलेक्टर जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक 49/अ-20(3)/2017-18 से पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 से मादलिया घाट तालाव एवं रावटी वाला नाला (डावडी तालाव योजना) के डुब में आ रही वन भूमि कमशः 14.22, 15.00 हे० कुल किता 2 कुल रकबा 29.22 हे० के बदले में ग्राम कंसेर तहसील पिपलौदा की शासकीय भूमि क्रमांक 118/4 रकबा 27.66 हे० एवं सर्वे क्रमांक 118/3

निरंतर.....3

रकबा 16.40 हे० में से रकबा 1.56 हे० कुल विन्ता 2 कुल रकबा 29.22 हे० भूमि वन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार-2 की कंडिका 05 के तहत हस्तांतरित की गई जाने से ग्राम कंसोर की भूमि 24.51 हे० शेष रही भूमि में से ग्राम कुआँझागर तालाब परियोजना अन्तर्गत वन विभाग की भूमि जुब में आने से वन भूमि के बदले रकबा 20.512 हे० भूमि को ग०प्र० नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के अध्याय-2 की कंडिका (16) के तहत ग०प्र० शासन द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल को निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित भूमि जिसकी सीमाएं आवद्ध रेखांक चिह्नित की गई हैं, जिसे नक्शे में लालस्याही से अंकित किया गया है तथा शेष भूमि रकबा 3.998 हे० भूमि पुनः शासकीय अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. राज्य शासन के किसी विभाग को कंडिका 17 के अंतर्गत हस्तांतरण की गई भूमि पर कर निर्धारण नहीं होगा।
2. भूमि का उपयोग कंडिका 18 (1) के अंतर्गत 03 वर्ष के भीतर नहीं करने पर भूमि वापस ली जा सकेगी।
3. भूमि जिस प्रयोजन हेतु हस्तांतरण की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग की जावेगी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं की जा सकेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय पदमुद्रा से जारी किया गया।

(नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)

कलेक्टर

एवं अध्यक्ष जिला नजूल निर्वर्तन समिति  
जिला रतलाम (म.प्र.)

पृ० क्रमांक 3899/रीडर-1/2022

रतलाम, दिनांक 26/9/2022

प्रतिलिपी-

1. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन विभाग भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल।
4. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावरा।
6. जिला वनमण्डल अधिकारी, जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. नजूल अधिकारी, रतलाम।
8. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ।
9. तहसीलदार पिपलोदा की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि, आदेशानुसार आंशिक की जाने वाली भूमि का आधिपत्य जिला वनमण्डल अधिकारी जिला रतलाम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष सीमांकन करवाया जाकर सौंपे तथा शासकीय भू-अभिलेख खसरा नक्शे में अमल दरामद किया जाकर कब्जा रशीद सहित प्रकरण वापस लौटावे। साथ ही मोजा पटवारी शेष भूमि को राजस्व अभिलेख में शासकीय अंकित करे।

पृ. क्रमांक 2428/कमी कुआँझागर वन भूमि/2022

रतलाम दि 10/10/22

अभियंता राज्य अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल

वैसना को केर कुआँझागर तालाब परियोजना के अंतर्गत

Forest wing

11/11/22

(वी.के. खरत)

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग, रतलाम

(नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)

कलेक्टर

एवं अध्यक्ष जिला नजूल निर्वर्तन समिति  
जिला रतलाम म.प्र.



LR No. : 25008143401

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख  
खसरा  
प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)  
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



ग्राम: कन्हेर			पटवारी हत्क: कन्हेर			तहसील: पिपलोदा		जिला: रतलाम		वर्ष: 2025-2026	
भूमि के भाग की युनिक आईडी:	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुधी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिवंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे 1. खरीफ 2. रबी 3. ज़ायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभिवृत्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कौतम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1132264813 81M4B8D80YFKH0	118/4 (S)		27.6500 हेक्टेयर वन विभाग 27.6500 रु. 0.00	(शासकीय)							

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1  
Date: 2025.11.19 12:33:09 IST  
Reason: Digital Extract of Land Record- Khasra Copy  
CLR No. : 25008143401



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख  
खातावार खतौनी अधवा जमाबंदी  
प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



CLR No. : 25008143402

नाम: कन्सेर		पटवारी हल्का: कंसेर				तहसील: पिपलोदा			जिला: रतलाम		वर्ष: 2025-2026			
क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ ब्लाक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 143 के अनुसार)(रुपयों में)	अद्यतन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के ब्यौरे शामिल हो (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विधिदिया	देय राशि	अभियुक्तिप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	(शासकीय)		118/4 (S) 27.6500 हेक्टेयर	कृषि	0.00		कुल भू-राजस्व	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			कुल क्षे. 27.6500 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00		पंचायत उपकर	0.00						
							शाला उपकर	0.00						
							वाणिज्य कर	0.00						
							प्रीमियम	0.00						
							शास्ति	0.00						
							योग	0.00						

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1  
Date: 2025.11.19 12:33:09 IST  
Reason: Digital Extract of Land Record- Khatoni (B1) Copy  
CLR No. : 25008143402



## AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-09-2025

Agency Name.	Madhya Pradesh Water Resources Department
Application No.	57150918300
MoEF/SG File No.	6-MPR002/2024-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Madhya Pradesh Water Resources Division Rattlam
Amount(In Rs)	32194483/-

Amount In Words :Three Crore Twenty-One Lakh Ninety-Four Thousand Four Hundred and Eighty-Three Rupees Only


NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507657150918300 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Misslon Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-09-2025

Agency Name.	Madhya Pradesh Water Resources Department
Application No.	57150918300
MoEF/SG File No.	6-MPR002/2024-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Madhya Pradesh Water Resources Division Rattlam
Amount(In Rs)	32194483/-

Amount In Words :Three Crore Twenty-One Lakh Ninety-Four Thousand Four Hundred and Eighty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507657150918300 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Misslon Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back

## FORM - II

(For projects other than linear projects)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESHOFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR RATLAM (M.P.)No. 133Dated : 09-01-2023TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights), Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes. It is certified that 20.512 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Madhya Pradesh Water Resources Deptt. for construction of Kuawajhagar Tank Project for irrigation purpose in Ratlam district falls within jurisdiction of Kuawajhagar village in Ratlam Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 20.512 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 2.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Kuawajhagar village is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above.

(Narendra Kumar Suryavanshi)

Collector

Dist. Ratlam (M.P.)

# जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला रतलाम


## कार्यवाही विवरण


—00—


कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम के पत्र क्रमांक 2428/कार्य/वन भूमि/कुआझागर/2022 रतलाम दिनांक 12.10.2022 के अनुसार कुआझागर सिंचाई परियोजना का वन भूमि अधिग्रहण संबंधी स्टेज-1 प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के लिये वन भूमि प्रकरण में FRA प्रमाण पत्र चाहा गया था। कार्यालयीन नस्ती के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम सभा की सहमति एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के अनुमोदन उपरान्त पूर्व में कुआझागर सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु त्रुटिवश FRA LINEAR PROJECT (लिनियर प्रमाण पत्र) जारी किया गया है। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम के पत्र क्रमांक 2508/कार्य/वन भूमि/कुआझागर/2022 रतलाम दिनांक 19.10.2022 के द्वारा कुआझागर सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु FRA (Other Then Linear Projects) प्रमाण पत्र भारत सरकार से प्रभावित वन भूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु चाही गई है। उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की अनुशंसा/अनुमोदन उपरान्त जिला स्तरीय वन अधिकार समिति रतलाम की अनुशंसा/अनुमोदन हेतु दिनांक 27.12.2022 को कुआझागर सिंचाई परियोजना निर्माण के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ग्राम कुआझागर (ग्राम पंचायत कुआझागर) की 20.512 हेक्टर वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने का प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत उपखंड वन अधिकार समिति के समक्ष ग्राम कुआझागर (ग्राम पंचायत कुआझागर) के ग्राम सभा में अनुमोदन एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र की कुआझागर सिंचाई परियोजना निर्माण से वन भूमि एवं राजस्व भूमि के डूब में आने पर ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः पूर्व में जारी FRA LINEAR PROJECT (लिनियर प्रमाण पत्र) को निरस्त करते हुये ग्राम सभाओं से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों एवं अनुशंसा के आधार पर कुआझागर सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु 20.512 हेक्टर वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने के लिये FRA (Other Then Linear Projects) प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुशंसा/अनुमोदन किया जाता है।

संलग्न :- प्रपत्र अ एवं ब।

  
(पारुल जैन)  
सहायक आयुक्त  
जनजातीय कार्य विभाग  
जिला रतलाम

  
(आदर्श श्रीवास्तव)  
वन मण्डल अधिकारी  
सदस्य  
सामान्य वन मण्डल, रतलाम

  
(नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)  
कलेक्टर  
जिला-रतलाम

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम

सागोद रोड, रतलाम (म.प्र.)

टेलीफोन नं० (07412) 270418

E-mail Address - dfo@rtlam.mp.gov.in

रतलाम दिनांक 18-08-2025

क्रमांक/मा.सि./2025/ 2573

प्रति

कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग, रतलाम  
जिला-रतलाम

विषय

संदर्भ - 01)

02)

जिला-रतलाम के अंतर्गत कुआझागर तालाब योजना के निर्माण हेतु 20.512 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/150918/2022)  
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को पत्र क्र./6-एमपीआर/002/2024/वी.एच.ओ. दिनांक 26-07-2025  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (गू प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./एफ-3/397425/0024/16/दिनांक 31-07-2025

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र आपको भी पृष्ठांकित किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा कुआझागर तालाब परियोजना के निर्माण में 20.512 हेक्टेयर वन भूमि आपके विभाग को उपयोग पर दिये जाने हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त ए-01 से 14 एवं बी 01 से 13 तक का पालन प्रतिवेदन आपके विभाग से संबंधित विन्डुवार प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करे।

शर्त क्रमांक-A(1) के पालन में प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी, रतलाम द्वारा तैयार की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार राशि रु. 1,19,65,000.00/- (अक्षरी रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख पैंसठ हजार रुपये), आपके संस्थान द्वारा एड-हॉक कैम्पा मद में आनलाईन E-portal में जमा कराई जायें।

शर्त क्रमांक-A(4) के पालन में प्रस्तावित 20.512 हेक्टेयर वनभूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रु. 1,96,45,983/- (अक्षरी रुपये एक करोड़ छियानवे लाख प्रतालिस हजार नौ सौ तैरयासी रुपये) आपके संस्थान द्वारा एड-हॉक कैम्पा मद में आनलाईन E-portal में जमा कराई जायें।

शर्त क्रमांक-A(6) के पालन में आपके विभाग द्वारा परियोजना अंतर्गत तैयार किए गए केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान के प्राक्कलन अनुसार राशि रूपये 5,83,500.00 (अक्षरी रुपये पांच लाख तरयालिस हजार पांच सौ रुपये) आपके संस्थान द्वारा एड-हॉक कैम्पा मद में आनलाईन E-portal में जमा कराई जायें। जमा करने वाली राशि निम्नानुसार है।-

क्र.	मद	रकबा (हेक्टेयर में)	घनत्व (Density)	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमांक (यदि कोई हो तो)
1	नेट प्रजेण्ट वैल्यू	20.512	0.4 से कम	III (Open Forest)	1,96,45,983.00	
योग राशि :-					1,96,45,983.00	
2	वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि	20.512	रिक्त	-	1,19,65,000.00	
योग राशि :-					1,19,65,000.00	
3	अन्य राशियां जो कैम्पा मद में जमा होना है	41.75 Sq.KM	-	-	5,83,500.00	केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की राशि
योग राशि :-					5,83,500.00	
महायोग राशि :-					3,21,94,483.00	

अतः उपरोक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन 02 प्रतियों में इस कार्यालय में भेजे।

संलग्न - संदर्भित पत्र।



वनमण्डलाधिकारी  
रतलाम

निर्वाहक

क्रमांक / मा.चि. / 2025 / .....  
प्रतिलिपि :-

रतलाम, दिनांक .....-08-2025

- 01 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर ग.प्र. भोपाळ की ओर संदर्भित पत्र के तत्परतम में सूचनाएं।
- 02 वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनाएं।
- 03 उपवनमण्डलाधिकारी रतलाम की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 04 वन परिक्षेत्राधिकारी रतलाम की ओर सूचनाएं कर लेख है कि शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति/ इस कार्यालय की स्वीकृति के बिना वन क्षेत्र में तालाब निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाये।
- 05 वन परिक्षेत्राधिकारी सैलाना की ओर लेख है कि ग्राम छायेन तहसील जाधरा 20.512 हेक्टेयर गैर वन भूमि का डिजिटाइज्ड मैप स्केल 1:12500 जिसमें गुनारे निर्मित किये जाना है तथा प्रत्येक गुनारे की जी.पी.एस. रीडिंग मेच में अंकित करें तथा रीडिंग एवं संकेत आदि का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय को शीघ्र भेजे ताकि प्रकरण में प्राप्त की गई गैर वन भूमि का भा.व.अधि. 1927 की धारा 29 में संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना का प्रकाशन किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

  
वनमण्डलाधिकारी  
रतलाम



## FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

Home FCA-1980 Projects Diverted Lands CA Lands Reports

### INFORMATION

**SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:56423**

Project Name : **Kuwajhagar Tank Project**

Year : **2025**

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project](#)
- To Edit details of Existing FCA Project, Please click here [Edit the Existing FCA Project Details](#)
- To Lock the Details of FCA Project, Please click here [Lock FCA Projects](#)
- [Add CA Land / Site Details to the Project](#) Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.



## Status of the Payment made by User Agencies

## Help

Click on Proposal No. to view Detail of proposal. Click on Demand letter to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the payment yet to be made.

: This icon shows that the challan has been generated.

: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :  Select State :

Select User Agency :

Payment Status : ☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All

Bank Name :  Mode of Payment :

Transaction Date (From) :  Transaction Date (To) :

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/IRRIG/150918/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/IRRIG/150918/2022)  Kuwajhagar Tank Project	IRRIG1509182022300	26 Jul 2025	CA: 11965000/-Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 583500/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 19645983/- Total: 32194483/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On 23 Sep 2025 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 23 Sep 2025 Transaction Date 25 Sep 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/230920251453163480_FPMPIRRIG1509182022_User_Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=IRRIG1509182022300))



SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India  
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-ic(at)nic(dot)in